न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 261/2022

सन्दीप कुमार निवासी पहलाना जोहड के पास, ग्रा0पो0 टीटनवाड, पिन कोड 333012, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी।

—

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 10.08.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 27.07.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 261/2022 पर दिनांक 27.07.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/3841–42 दिनांक 27.07.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी ने पत्रांक पी0ए0/2021/1066–67 दिनांक 05.08.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना दिनांक 06.05.2022 को पुलिस थाना गुढागौडजी द्वारा जरिये इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 116 (3) द0प्र0स0 की प्रतिलिपि मांगी गई थी इस कम मे तहसीलदार उदयपुरवाटी एवं उपखण्ड कार्यालय मे दिनांक 06.05.2021 को धारा 107, 116 (3) का इस्तगासा न्याय पंजिका मे दर्ज नही है। प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है। रिकार्ड कार्यालय मे उपलब्ध होता है उन्ही की सूचना देने का प्रावधान है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) उदयपुरवाटी ने पत्रांक पी0ए0/2021/1066–67 दिनांक 05.08.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना दिनांक 06.05.2022 को पुलिस थाना गुढागौडजी द्वारा जरिये इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 116 (3) द0प्र0स0 की प्रतिलिपि मांगी गई थी इस कम मे तहसीलदार उदयपुरवाटी एवं उपखण्ड कार्यालय मे दिनांक 06.05.2021 को धारा 107, 116 (3) का इस्तगासा न्याय पंजिका मे दर्ज नही है। प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना उनके कार्यालय मे उपलब्ध नही है। रिकार्ड कार्यालय मे उपलब्ध होता है उन्ही की सूचना देने का प्रावधान है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से [illegible] किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि [illegible] द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 10.08.2022 को [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.24 12:46:44 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं